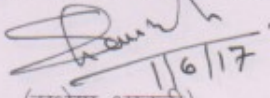
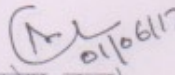


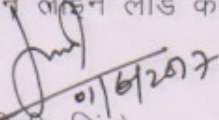
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या- 91)

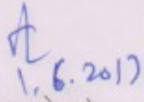
आज दिनांक 01.06.2017 को वन विभाग की ओर से श्री एस0के0 सक्सेना, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, श्री सुरेश चन्द्र, क्षेत्रीय वन अधिकारी, एटा तथा श्री सुधेश भारती, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, सा0वा0प्रभाग, एटा द्वारा श्री पी.पी.सिंह, उप प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, अलीगढ़ के साथ राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-91 कि0मी0 186 से 229 का एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित 4 लेन चौड़ीकरण के वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव के संदर्भ में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (पार्ट-1) के सापेक्ष निरीक्षण में पाया गया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग के कि.मी. 195 से 196 के मध्य एन.एच.-91 से हटकर बांयी तरफ निचली गंग नहर (एल.जी.सी.) पर पुल का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। इसी प्रकार एटा शहर बाईपास एटा-कासगंज मार्ग कि.मी. 2 से 3 एवं एटा-अलीगंज मार्ग पर कि.मी. 3 से 4 के मध्य से गुजर रहा है, इन मार्गों पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर के निर्माण एवं सम्पर्क मार्गों में संरक्षित वन भूमि एवं उसमें स्थित वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इनको प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उक्त के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (पार्ट-1) जो आन लाइन लोड हो चुका है, को वापस कर संशोधित प्रस्ताव तैयार कर आन लाइन लोड कराना होगा।


11/6/17
(सुधेश भारती)
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी
सा0वा0प्रभाग,
एटा


01/06/17
(सुरेश चन्द्र)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
एटा


01/06/2017
(पी.पी. सिंह)
उप प्रबन्धक
एन.एच.ए.आई.
अलीगढ़


1.6.2017
(एस.के.सक्सेना)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा